

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 मार्च 2013—चैत्र 5, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

अधि. क्र. 49-एफ-1-23-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा नगरपालिका सीहोर एवं आष्टा में निर्मांकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हैः—

क्र. नगरपालिका का नाम व जिला
(1) (2)

एल्डरमेनों का नाम एवं पता
(3)

1. नगरपालिका सीहोर

1. श्री दीपक राठौड़, गंज बजरिया, सीहोर.
2. श्री अशोक सिसोदिया, सरबर का बगीचा इंगिलशपुरा, सीहोर.
3. श्री मोहसीन बेग, पुखता मस्जिद, कस्बा, सीहोर.
4. श्री सीताराम यादव, बड़ी ग्वालटोली गंज, सीहोर.

2. नगरपालिका आष्टा

1. श्री सुशील कुमार, सचेती वार्ड-18, सांई कॉलोनी, आष्टा, जिला सीहोर.
2. श्री राजेश कुमार सोनी, वार्ड-9, पुराना थाना रोड़ आष्टा-सीहोर.
3. श्री अशोक कुमार नागोरी, बड़ा बाजार आष्टा जिला सीहोर.
4. श्रीमती ताराबाई रमेशचंद्र रैकवार, चितोड़ा कॉलोनी वार्ड-15, नये थाने के पीछे आष्टा जिला सीहोर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.